संदर्भः आईआरडीएआई/एसीटीएल/ओआरडी/विविध/258/10/2021 1अक्टूबर, 2021
Ref:IRDAI/ACTL/ORD/MISC/258/10/2021 1st October, 2021

आदेश / ORDER

विषयः आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 की समीक्षा के लिए समिति
Sub: Committee for review of IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017

नियुक्त बीमांकक किसी भी बीमा कंपनी की कार्यप्रणाली में प्रधान भूमिका अदा करते हैं। किसी बीमा कंपनी में नियुक्त बीमांकक की नियुक्त के लिए क्रियाविधि, उसके कर्तव्य, दायित्व, शक्तियाँ आदि नियुक्त बीमांकक विनियमों में निर्धारित हैं। पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से वर्ष 2017 में आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम की अधिसूचना के बाद व्यावसायिक परिवेश में घटित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए तथा किसी बीमा कंपनी में नियुक्त बीमांककों की भूमिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन विनियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई है।
Appointed Actuaries play pivotal role in functioning of an insurance company. Procedure for appointment of an Appointed Actuary in an insurance company, his/her duties, obligations, powers etc. are prescribed in the Appointed Actuary Regulations. Keeping in mind the changes which have happened in the business environment in the past few years more particularly since notification of the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations in the year 2017 and considering importance of role of Appointed Actuaries in an insurance company, a need has been felt to review these Regulations.

इस संबंध में निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति का गठन किया गया हैः
In this regard, a Committee has been constituted with the following members:

1. श्री डी. साई श्रीनिवास,समिति का अध्यक्ष / Mr. D Sai Srinivas, Chairperson of the Committee.
2. श्री वरुण गुप्ता, सदस्य / Mr. Varun Gupta, Member
3. श्री शरद एस. रामनारायणन, सदस्य / Mr.Sharad S Ramnarayanan, Member
4. सुश्री आर. पद्मजा, सदस्य / Ms. R Padmaja, Member
5. सुश्री प्रीति चन्द्रशेखर, सदस्य / Ms. PreetiChandrashekhar, Member
6. श्री सी. एस. कुमार, उप महाप्रबंधक (बीमांकिक), आईआरडीएआई, सदस्य-संयोजक
   Mr. C S Kumar, DGM (Actuarial), IRDAI, Member Convenor.

समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगेः
Terms of reference of the Committee shall be as follows:

1. नियुक्त बीमांककों अथवा इसी प्रकार के सांविधिक पद पर नियुक्ति के लिए, जैसा लागू हो, कर्तव्यों, कार्यों और पात्रता शर्तों के तौर पर नियुक्त बीमांककों अथवा सांविधिक बीमांकिक पदों की प्रणाली के संबंध में वैश्विक पद्धतियों का अध्ययन करना।
   To study global practices on system of Appointed Actuaries or Statutory Actuarial positions in terms of duties, functions and eligibility conditions for appointment of Appointed Actuaries or similar statutory position, as applicable.

2. आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 के वर्तमान उपबंधों की समीक्षा करना तथा वर्तमान और भावी अनुमानित व्यावसायिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए इन विनियमों में उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश करना।
   To review existing provisions of IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017 and recommend suitable amendments to these Regulations considering the current and future expected business environment.

3. समिति आवश्यकता के आधार पर चर्चा के लिए बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।
   The Committee may invite external experts for discussion on need basis.

समिति इस आदेश की तारीख से 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
Committee shall submit its report within 45 days from the date of this order.

-हस्ताक्षरित- / -Signed-

सदस्य (बीमांकक) / Member (Actuary)